

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड(म.प्र.)  
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)  
नियमित व्यवहार अपील क.-23/15  
प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 02.11.15

1. रघुनाथ सिंह पुत्र करन सिंह आयु 63 वर्ष

.....मृत नाम विलोपित

2. पुलन्दर सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह आयु 44 वर्ष

3. दशरथ सिंह पुत्र पुलन्दर सिंह आयु 25 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बघराई

तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी / प्रतिवादीगण

4. बाबूसिंह पुत्र लाखाराम सिंह आयु 68 वर्ष

5. रामसिंह पुत्र लाखाराम सिंह आयु 64 वर्ष

6. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री शंकर सिंह आयु 73 वर्ष

7. सुघरसिंह पुत्र रानाजीत सिंह आयु 53 वर्ष

8. वीरेन्द्र सिंह आयु 43 वर्ष,

9. जयवीर सिंह आयु 40 वर्ष

10. पुत्तू सिंह आयु 36 वर्ष

11. सुरेन्द्र सिंह आयु 33 वर्ष पुत्रगण रामप्रसाद,

12. श्रीमती विटन्सादेवी आयु 62 वर्ष पत्नी

रामप्रसाद सिंह समस्त जाति गुर्जर ठाकुर

निवासीगण ग्राम बघराई परगना गोहद जिला

भिण्ड म0प्र0

..... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. गंगासिंह पुत्र सोवरन सिंह आयु 73 वर्ष जाति

गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम बघराई तहसील गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0 .....प्रत्यर्थी / वादी

2. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर जिला

भिण्ड म0प्र0

.....औपचारिक प्रत्यर्थी

न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 गोहद, जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के न्यायालय के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 86ए/14 में घोषित निर्णय दिनांक 29.09.15 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

अपीलार्थी क्र० 02 लगायत 12 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्रमांक 02 अनु०, पूर्व से एकपक्षीय।

**—: निर्णय :-**

**( आज दिनांक 28.10.17 को घोषित )**

1. अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी/वादी के विरुद्ध यह अपील न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 गोहद, जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 86ए/14 उनवान गंगासिंह बनाम रघुनाथ सिंह एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वादी गंगासिंह के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकवा 0.390 हेक्टे० स्थित मौजा बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड के संबंध में आधिपत्य की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किए गए वाद को स्वीकार कर आधिपत्य एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण रघुनाथ सिंह, पुलंदर एवं दशरथ सिंह के विरुद्ध प्रदान की गई है।
2. प्रत्यर्थी/वादी के विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिवचन रहे हैं कि वह विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकवा 0.390 हेक्टे स्थित मौजा बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड का रिकॉर्डेड भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है। जिसका प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 रघुनाथ सिंह, पुलंदर सिंह एवं दशरथ सिंह से कोई संबंध नहीं है। दिनांक 03.03.14 को वादी की विवादित भूमि में खड़ी सरसों की फसल को बल पूर्वक काटने तथा भूमि पर कब्जा करने की धौंस दी गई, उक्त आधारों पर आधिपत्य की घोषणा तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03

के विरुद्ध विवादित भूमि में कोई बाधा उत्पन्न न करने की स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई।

3. अपीलार्थी क्रमांक 01 लगायत 03/प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादी के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्य्यान किया गया और यह अभिवचन किए गए कि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने दिनांक 03.03.14 को कोई धौंस नहीं दी है। विवादित भूमि से लगी हुई प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के स्वत्व, कब्जे व बर्ताव की भूमि सर्वे क्रमांक 170 एवं 169 में खड़ी फसल के संबंध में वादी विवाद करता रहता है। कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। विवादित भूमि का बाजारू मूल्य दो लाख रुपए है, जिसके आधार पर वाद का मूल्यांकन कर न्याय शुल्क अदा करना चाहिए। उक्त आधारों पर वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए तथा साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके समक्ष निम्नानुसार निष्कर्ष दिए गए:—

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या प्रतिवादीगण विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकवा 0.390 मौजा बघराई परगना गोहद में वादी के वैध आधिपत्य में अनाधिकृत रूप से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ?	साबित ।
2. क्या वादीगण द्वारा वाद का उचित रूप से मूल्यांकन करते हुए पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	नासाबित
3. सहायता एवं व्यय ?	वाद स्वीकार

5. अपीलार्थी की ओर से अपील में एवं अंतिम तर्क में प्रमुख आधार यह लिए गए हैं कि खसरे की नकल प्र0पी0-04 में अपीलार्थी

क्रमांक 04 लगायत 12 के पूर्वज मौरुसी कृषक अंकित है, जिसके संबंध में प्रत्यर्थी क्रमांक 01 गंगासिंह ने तथा अपीलार्थी क्रमांक 04 लगायत 12 ने पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए थे, जो कि गलत रूप से निरस्त कर दिए गए, उन्हें पक्षकार बनाए बिना कोई भी प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। गंगासिंह वा0सा0-01 ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी क्रमांक 04 लगायत 12 के पूर्वज इस भूमि पर मौरुसी कृषक लिखे हुए थे तथा इस संबंध में तहसील न्यायालय में दावा संचालित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने मन से साक्ष्य की विवेचना कर निर्णय पारित किया है। मौरुसी कृषक होने के नाते अपीलार्थी क्रमांक 04 लगायत 12 को विधि के प्रभाव से भूमि स्वामी के स्वत्व उद्भूत हो गए हैं। स्थाई निषेधाज्ञा के दावे में कब्जा प्रमाणित करना स्वीकारा अवश्य है, लेकिन खसरा इंद्राज से कब्जा प्रमाणित नहीं है क्योंकि अपीलार्थीगण क्रमांक 04 लगायत 12 इस भूमि पर मौरुसी कृषक है। इस प्रकार इन तथ्यों पर ध्यान न देते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने मन माने तौर से निर्णय व डिक्री विधि विधान के विपरीत पारित की है, जो काबिल निरस्ती है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.15 को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है।

6. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 02 इस मामले में म0प्र0 शासन होकर औपचारिक पक्षकार है। उसके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया है।
7. प्रत्यर्थी क्रमांक 01/वादी की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया गया है कि वह विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य की उचित रूप से विवेचना करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो किसी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। उक्त निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि किए जाने तथा अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

8. इस अपील के विधिवत् निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है।

1. क्या वादी का विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 171 रवका 0.390 हेक्टे0 मौजा बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड पर आधिपत्य है ?
2. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 विवादित भूमि पर वादी के अधिपत्य में अनाधिकृत रूप से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ?
3. क्या विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.15 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

**::सकारण निष्कर्ष::**

9. इस अपील में अपीलार्थीगण की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 02 एवं धारा-151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन का निराकरण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है क्योंकि उक्त आवेदन अपीलार्थी क्रमांक 04 लगायत 12 के द्वारा अपील प्रस्तुत किए जाने के संबंध में है, जो मूल व्यवहार वाद क्रमांक 86ए/14 में पक्षकार ही नहीं थे। जिसके संबंध में प्रत्यर्थी क्रमांक 01/वादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से तर्क करना व्यक्त किया था, जिसके संबंध में उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

10. आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 02 एवं धारा-151 जा0दी0 के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि खसरे की नकल प्र0पी0-04, जो कि प्रत्यर्थी क्रमांक 01 के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी क्रमांक 04 लगायत 12 के पूर्वज मौरूसी कृषक लिखे हुए हैं, जिसके संबंध में तहसील न्यायालय में दावा संचालित है लेकिन उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है, उन्होंने अपने हित के संबंध में दावा भी प्रस्तुत किया है लेकिन इस डिक्री का प्रभाव उन पर भी पड़ रहा है और वे डिक्री से प्रभावित हैं। इस कारण उन्हें आक्षेप की इजाजत दी जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाना और



अभिवचनों को, जो अधीनस्थ न्यायालय में नहीं हैं, उन अभिवचनों सहित अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाना न्यायाहित में आवश्यक है। उक्त आधारों पर अपीलार्थी क्रमांक 01 लगायत 03 को अतिरिक्त अभिवचन एवं अपीलार्थी क्रमांक 04 लगायत 12 को अपील प्रस्तुत कर अतिरिक्त अभिवचन करने की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

11. प्रत्यर्थी क्रमांक 01 की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया है कि विधि का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो मूल व्यवहार वाद में पक्षकार नहीं हो, वह अपील कर सकेगा। आवेदन व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

12. उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आदेश 41 नियम 02 का प्रावधान ऐसे पक्षकार द्वारा अपील प्रस्तुत करने के लिए नहीं है कि जिसे मूल व्यवहार वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपितु यह प्रावधान उन आधारों के संबंध में है, जो अपील में किए जा सकेंगे। आदेश 41 नियम 02 जा0दी0 के अनुसार अपीलार्थी, न्यायालय की इजाजत के बिना आक्षेप के किसी भी किसी भी ऐसे आधार को जो अपील के ज्ञापन में उपवर्णित नहीं है, न तो पेश करेगा और न उसके समर्थन में सुना जाएगा, किंतु अपील न्यायालय अपील का विनिश्चय करने में आक्षेप के उन आधारों तक ही सीमित न रहेगा जो अपील के ज्ञापन में उपवर्णित है या जो न्यायालय की इजाजत से इस नियम के अधीन किए गए हैं।

13. इस प्रकार विधि में ऐसा कोई प्रावधाना नहीं है कि जो व्यक्ति मूल व्यवहार में वादी या प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नहीं रहा हो, उसके द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी जाए। अपितु उसके लिए विधि में अन्य उपचार उपलब्ध हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी क्रमांक 04 लगायत 12 के संबंध में आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं

है। यद्यपि अपील दिनांक 16.11.15 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई है, परंतु अपीलार्थी क्रमांक 04 लगायत 12 के संबंध में अपील सुनवाई योग्य न होने के कारण आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 02 एवं धारा-151 जा0दी0 निरस्त करते हुए अपीलार्थी क्रमांक 04 लगायत 12 के संबंध में यह अपील सुनवाई योग्य न होना मान्य किए जाते हुए सुनवाई हेतु ग्राह्य नहीं की गई। इस कारण निर्णय केवल अपीलार्थी क्रमांक 01 लगायत 03 के संबंध में किया जा रहा है। जिसमें अपीलार्थी क्रमांक 01 रघुनाथ सिंह की मृत्यु होकर उसका नाम विलोपित किया गया है। शेष उसके वारिसान अपीलार्थी क्रमांक 02 पुलन्दर सिंह एवं अपीलार्थी क्रमांक 03 दशरथ सिंह पूर्व से भी अभिलेख पर हैं।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01:-**

14. प्रत्यर्थी क्रमांक 01/वादी की ओर से विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आधिपत्य की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। आधिपत्य के संबंध में वादी गंगासिंह वा0सा0-01 ने स्वयं को विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकबा 0.390 हेक्टे0 का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना बताया है। साहब सिंह वा0सा0-02 एवं बृजेन्द्र सिंह वा0सा0-03 ने भी विवादित भूमि को वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना बताया है। उसके विपरीत पुलन्दर सिंह प्र0सा0-01 एवं वीरेन्द्र सिंह प्र0सा0-02 ने यह बताया है कि विवादित भूमि के मौरूसी कृषक मृतक लाखाराम, शंकरसिंह पुत्रगण सूरजपाल, राजाराम पुत्र जगत सिंह, राणाजीत सिंह थे। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसान बाबूसिंह पुत्र लाखाराम सिंह, रामसिंह पुत्र लाखाराम सिंह, लक्ष्मी पुत्री शंकर, सुधरसिंह पुत्र राणाजीत सिंह तथा वीरेन्द्र स्वयं और वीरेन्द्र का भाई जयवीर सिंह, पुत्तू सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण रामप्रसाद तथा विटन्सा देवी पत्नी रामप्रसाद मौरूसी कृषक हैं और वही काबिज होकर खेती कर रहे हैं। वादी का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है।

15. वादी की ओर से प्र0पी0-04 की खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि वर्ष 2013-14 की प्रस्तुत की गई है, जिसका अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें यद्यपि भूमि स्वामी के रूप में गंगासिंह का नाम लिखा है। परंतु धनीराम पुत्र लल्लो, लाखाराम सिंह, शंकर सिंह पुत्र सूरजपाल, राजाराम सिंह पुत्र जगत सिंह, राणाजीत सिंह पुत्र हीरा सिंह का नाम आधिपत्य कृषक के रूप में लिखा हुआ है। जिससे कि स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर आधिपत्य कृषक के रूप में अन्य व्यक्तियों के कब्जे हैं। वादी की ओर से राजस्व या अन्य कोई ऐसा आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इन व्यक्तियों से या इनकी संतानों से विवादित भूमि का कब्जा वापिस प्राप्त किया गया हो, ऐसी कोई कब्जा रसीद प्रस्तुत नहीं है। प्र0पी0-05 राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट है, परंतु उसमें भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि गंगासिंह के पक्ष में कब्जा वापिस लिया गया हो। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर वादी गंगासिंह का कब्जा होना प्रकट नहीं होता है तब विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है कि विवादित भूमि का वादी स्वत्वाधारी है जिससे अन्यथा प्रमाण के अभाव में विवादित भूमि पर वादी के आधिपत्य की उपधारणा भी की जा सकती है।

16. परंतु उपधारणा के आधार पर वाद का निराकरण नहीं होना है। अपितु सुदृढ़ साक्ष्य के आधार पर वाद का निराकरण होना है और यह देखा जाना है कि संभावनाओं की प्रबलता किस पक्ष में है। वादी की ही ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र0पी0-04 में अन्य व्यक्तियों को आधिपत्य कृषक के रूप में दर्शाया गया है। धारा-117 म0प्र0भू0रा0सं0 के अनुसार उक्त खसरे के सत्य होने की उपधारणा तब तक की जाएगी जब तक की उसके खण्डन में कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है। परंतु प्र0पी0-04 के खण्डन की ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे यह प्रकट हो कि उक्त इंद्राज गलत कर दिया गया हो। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं होता है।



17. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-11 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में विवादित भूमि पर वादी का प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के मुकाबले आधिपत्य अप्रमाणित नहीं होता है, जबकि पुलन्दर प्र0सा0-01 ने यह स्वीकार किया है कि उसका विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 का यह आधार ही नहीं है कि उनका विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकबा 0.390 हेक्टे0 पर कोई स्वत्व व आधिपत्य है। अपितु उनका यह आधार है कि भूमि सर्वे क्रमांक 170 एवं 169 में उनके आधिपत्य में वादी गंगासिंह विवाद पैदा करता रहता एवं आय दिन झगड़ा फर्साद करता रहता है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष भी वैधानिक त्रुटि से कारित होना प्रकट होता है। इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि वादी विवादित भूमि का अधिपत्यधारी है।

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02:-

18. इस संबंध में गंगासिंह वा0सा0-01, साहब सिंह वा0सा0-02 एवं बृजेन्द्र सिंह वा0सा0-03 ने दिनांक 01.07.15 को दिए अपने मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में यह बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा लगभग 13-14 महीने पहले उसकी सरसों की फसल को विवादित भूमि से जबरदस्ती काटने व कब्जा करने की धौंस दी थी तब से झगड़ा पैदा हुआ है। इस प्रकार केवल धौंस देने का वादकारण है अन्य कोई वादकारण नहीं है। सरसों की फसल काट लेने की धौंस देने के संबंध में पुलिस थाने में कोई लिखित रिपोर्ट की गई हो या अन्य कोई कार्यवाही की गई हो ऐसा प्रकट नहीं है। वादी साक्षियों ने झगड़ा या विवाद होने या धौंस देने की कोई दिनांक भी नहीं बताई है।

19. प्र0पी0-05 के प्रतिवेदन एवं प्र0पी0-06 के पंचनामे से भी स्पष्ट है कि वे दिनांक 14.11.14 के हैं। वैसे भी विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य होना प्रकट और प्रमाणित नहीं हुआ है। तब ऐसी स्थिति

में उनके कब्जे में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न करना भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का पैरा-12 में दिया गया निष्कर्ष वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट होता है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादी के आधिपत्य में अनाधिकृत रूप से बाधा उत्पन्न करना प्रमाणित होता है।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 03:-**

20. विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.09.15 के पैरा-17 में वादी द्वारा अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहने का निष्कर्ष देने में वैधानिक त्रुटि कारित की है और उसके आधार पर वादी के पक्ष में और प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के विरुद्ध विवादित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के संबंध में भी वैधानिक त्रुटि कारित की है।

21. अतः ऐसी स्थिति में प्रकट है कि विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विधिवत् अवलोकन कर साक्ष्य का उचित मूल्यांकन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। विशेषकर प्र0पी0-04 के खसरे के अनुसार अन्य व्यक्तियों का आधिपत्य कृषक होने के तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 01 के संबंध में जो निष्कर्ष दिया है, वह त्रुटिपूर्ण है।

22. इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.15 के द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 01/वादी की ओर से विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकबा 0.390 हेक्टे0 स्थित मौजा बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड के संबंध में प्रस्तुत किए गए घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को स्वीकार करते हुए आधिपत्य की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की जो डिक्री दी गई है, वह हस्तक्षेप किए जाने योग्य है, स्थिर रखे जाने

योग्य नहीं है।

23. तदनुसार अपीलार्थी क्रमांक 01 लगायत 03 रघुनाथ सिंह, पुलन्दर सिंह एवं दशरथ सिंह के द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.15 अपास्त की जाती है तथा निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जाती है एवं आदेशित किया जाता है कि:-

1. वादी गंगासिंह के द्वारा विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकबा 0.390 हेक्टे0 स्थित मौजा बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड के संबंध में प्रस्तुत किया गया आधिपत्य की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद निरस्त किया जाता है।

2. इस अपील में तथा मूल व्यवहार वाद में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 1,000/-रुपए लगाया जाता है।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

24. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड